

©

FORM NO. III

फर्द अहकाम

2019/00140

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी जिला सिताइगर

अज अदालत

मांगीलाल

बनाम

लावह/५३

किस्म मुकद्दमा

12B RLA Act

नं.

13/19

सन्

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 13/5/19 | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>कानल</u>..... ग्राम.....<u>पाना</u>.....की बनाम <u>339, पुराना 333</u> की आ.न. 85 की 853, 857, 858, विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों 859, 870, 871, की मौजुदगी में की जावे। कुल किलो 7 रुब 1.85 ई.</p> <p>प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये <u>1350/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> | |
| | उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी | |